चतुर्थ अध्याय

उत्तरदात्री परिचय

किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण, व्यवहार और उद्देश्य उसके वर्ग चरित्र और सामाजिक परिप्रेक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होता है, जो उन सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिनमें वे शामिल होते हैं। निर्णायकों या शक्तिधारकों के बारे में किसी भी तरह का अध्ययन सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है, क्योंकि इसी से हमें संस्थागत शक्ति संरचना की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इससे हमें प्रभावशाली और कम प्रभावशाली लोगों की भी पहचान होती है। जहाँ तक निर्णय लेने का सवाल है, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि इस पर काफी असर डालती है, क्योंकि परम्परावादी मूल्यों वाली सामाजिक पृष्ठभूमि और आधुनिक मूल्यों वाली सामाजिक पृष्ठभूमि शासन प्रणाली को प्रभावित करती हैं। अतः स्पष्ट है, सामंतवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच सामाजिक पृष्ठभूमि की निर्णय प्रक्रिया को निर्धारित करने में अहम भूमिका होती है। कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक संस्थाएँ संचालित करना और उनकी मानसिकता को परिपक्व बनाना एक कठिन कार्य है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ जाति, धर्म, लिंग आर्थिक असमानताएँ, व्यक्ति की अभिवृत्ति, समाजीकरण तथा अवसरों तक पहुँच को प्रभावित करते हैं। उस संदर्भ में उत्तरदाता की पृष्ठभूमि का विश्लेषण उसकी अभिवृत्ति तथा उसकी भूमिका को समझने में विशेष महत्व रखती हैं। समाज में जहाँ असमानताएँ एवं विभिन्नताएँ अधिक होती है। वहाँ शक्तिधारक या ग्रामीण अभिजन समाज का कितना प्रतिनिधित्व करता है इस हेतु उसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक हो जाता है। समाज में होने वाले परिवर्तनों को परिवार बैरोमीटर के रूप में जांच करता है। इसलिए प्रायः महिलाओं पर होने वाले सामाजिक

अनुसंधानों में महिलाओं की पारिवारिक व सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि वे समाज में किस भाग का प्रतिनिधित्व कर रही है। इतना ही नहीं हर तरह की जानकारी हमें यह जानने में भी मदद करती है कि पारिवारिक व सामाजिक पृष्ठभूमि उत्तरदात्रियों के विचारों व व्यवहारों पर कोई प्रभाव डाल रही है या नहीं, अगर प्रभाव डाल रही है तो किस रूप में।[1] प्रस्तुत अध्ययन अनुभवपरक वृत्त में आता है अतः अध्ययन का मूल केन्द्र उत्तरदाता के रूप में अजमेर जिले की स्थानीय स्तर की महिला नेतृत्वकृत्रियाँ हैं।

किसी भी शोध में अनुसंधानकर्ता के लिए पूरे समग्र का अध्ययन करना कठिन होता है। अतः शोधकर्ता द्वारा संतुलित निर्दश का निर्माण किया जाता है, जो समग्र का प्रतिनिधित्व करे, जिन पर किए गए अध्ययन के आधार पर समग्र के लिए निष्कर्ष निकल सके व जो सभी पक्षों को समाविष्ट करता है अतः निष्कर्ष प्रमाणिक होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में राजस्थान प्रदेश के अजमेर जिले को लिया गया है तथा इसमें केवल पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों को विश्व माना गया है। अतः अध्ययन के लिए राजस्थान के अजमेर जिले में राजस्थान विधेयक 2008 के प्रावधान के पश्चात् पचास प्रतिशत महिला आरक्षण के आधार पर ग्राम पंचायतों में चुनकर आयी महिला नेतृत्वकृत्रियों को शामिल किया गया है, जिनकी संख्या 138 है।

अतः अध्याय में हमने निर्वाचित महिलाओं की व्यक्तिगत चरों से संबंधित जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। इसमें प्रमुख रूप से आयु, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, आय, आर्थिक प्रस्थिति, वैवाहिक उम्र, परिवार के प्रकार, वैवाहिक स्थिति, कृषि भूमि का प्रकार, पारिवारिक आय को सम्मिलित किया गया। यह महत्वपूर्ण चर निर्वाचित महिलाओं की राजनीतिक नेतृत्व एवं सुशासन की स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। अतः इन सभी कारकों को इस अध्ययन द्वारा जानने का प्रयास किया गया।

(1) उत्तरदात्रियों की आयु :

एक जैविक तथ्य होते हुए भी आयु का सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अपना विशेष महत्व है। यह समाज में व्यक्ति के पद एवं कार्यों का निर्धारण करती है। परम्परागत समाज में व्यक्ति के पद व कार्यों के निर्धारण में आयु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण परिवेश में आयु प्रतिनिधित्व के लिए विशेष योग्यता मानी जाती है। सामान्यत ऐसा विश्वास किया जाता है कि अधिक आयु के लोग कम आयु के लोगों की अपेक्षा अधिक अनुभवी एवं ज्ञानी होते हैं। उनके सोचने का दायरा बढ़ता जाता है। परम्परागत रूप से भारत में कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु वालों को उच्च माना जाता रहा है। अतः उन्हीं को नेतृत्व के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन यह परम्परागत धारणा समय व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती जा रही है। नेतृत्व की ओर वृद्धों की अपेक्षा मध्य आयु वर्ग का अभिमुखीकरण अधिक होता जा रहा है। नवयुवकों और वृद्धों की अपेक्षा मध्य आयु में अधिक सुरक्षा स्थायित्व, योग्यता तथा उत्तरदायित्वशीलता पाई जाती है।[2] जी.एस. हालपर्न व एच.एस. ढिल्लन[3] आदि विद्वान मानते हैं कि सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक जिम्मेदारी की भूमिका है जिसका निर्वहन परिपक्व अवस्था के अनुभवी व्यक्ति ही कर सकते हैं। जबकि एल.जी. हालपर्न, इकबाल नारायण, अर्जुन राय द्वारशंकर[4] आदि विद्वानों के अनुसार आधुनिकीकरण के प्रभाव से युवा वर्ग की भूमिका में वृद्धि हो रही है। नेतृत्व के संदर्भ में आयु की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि नेता की परिपक्वता में आयु अनुभव के रूप में एक प्रधान कारक हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में हमने नेतृत्वकृत्रियों की आयु को जानना आवश्यक समझा है। इसके सम्बन्ध में नेतृत्वकृत्रियों की प्रतिक्रियाएँ सारणी संख्या 4.1 में अंकित है जो इस प्रकार है :–

सारणी संख्या–4.1

उत्तरदात्रियों की आयु

क्रसं.	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
1	21–35 वर्ष	14	10.14
2	35–50 वर्ष	58	42.02
3	50–65 वर्ष	52	37.68
4	65 से अधिक	14	10.14
	योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से लगभग 10.14 प्रतिशत महिलाएँ 21–35 वर्ष की हैं तथा उतनी ही प्रतिशत महिलाएँ 65 वर्ष से अधिक वर्ष की हैं जबकि 50–65 वर्ष की निर्वाचित महिलाएँ 37.68 प्रतिशत हैं तथा सबसे अधिक मध्यम आयु वर्ग की अर्थात् 35–50 वर्ष की निर्वाचित महिलाएँ 42.02 प्रतिशत हैं। इससे स्पष्ट है कि अजमेर में सबसे अधिक निर्वाचित महिला सरपंच प्रतिनिधि मध्यम आयु वर्ग की हैं।

(2) उत्तरदात्रियों की जाति :

जाति भारतीय सामाजिक राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण संस्था है। भारतीय संविधान जातीय भेदभावों को प्रश्रय नहीं देता तथापि भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में हिन्दू समाज पर उसकी स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। यह व्यक्ति की दिनचर्या में ही नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन में भी एक प्रभावी कारक का स्थान ले चुकी है। बाबू जगजीवन राम के शब्दों में जाति भारतीय राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्यता है। जाति तथा भारतीय राजनीति के मध्य

अभिन्न संबंध है।[5] योगेश अटल[6] (1971) ने भारतीय राजनीति में जाति को एक महत्वपूर्ण कारक स्वीकार किया है। इसी अनुक्रम में ए.एच. हेंसन एवं जेनेट डगलस का मत है कि जाति की अवधारणा को ध्यान में न रखकर किया गया भारतीय राजनीति का अध्ययन अपूर्ण सिद्ध होगा। अनेक समाजशास्त्रियों द्वारा जाति व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। इनमें से जी.एस. धूरिये, प्रो. एम.एन. श्रीवास्तव, डॉ. के. एन. शर्मा, जे.एस. हट्टन आदि के द्वारा किए गए अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार अनेक राजनीतिशास्त्रियों जैसे रूडाल्फ एण्ड रूडाल्फ, डब्ल्यू.एच. मॉरिस जॉन्स और रजनी कोठारी आदि ने अपने अध्ययनों में जाति व्यवस्था के राजनीतिक पक्ष पर प्रकाश डाला है। रजनी कोठारी[7] के अनुसार राजनीति में जाति का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। जाति व्यवस्था के महत्वपूर्ण परम्परागत लक्षण हैं—समाज का खण्डीय विभाजन, श्रेणीय बद्धता, भोजन तथा सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण, विभिन्न उपभागों की नागरिक तथा धार्मिक असमर्थताएँ, विशेषाधिकार, निर्बाध व्यवसाय, चयन का अभाव, विवाद पर नियंत्रण। देसाई (1961) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के राजनीतिक जीवन में जाति का प्रभाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव के लोगों में जाति के प्रति अधिक जागरूकता पायी जाती है। जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिलता है। परम्परागत रूप में भारतीय समाज में व राजनीति में उच्च जातियों की स्थिति मजबूत रही है। परन्तु नवीन व्यवस्था ने गांवों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को जन्म दिया है। अब परम्परागत रूप से पिछड़ी जातियाँ भी अब राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। पहले इनकी भूमिका नाममात्र की थी, वहीं अब आरक्षण के कारण इनकी संख्या बढ़ी है। तथा ये काफी प्रभावी स्थिति में आ गई है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने नेतृत्वकृत्रियों की जातिगत स्थिति को जानना आवश्यक समझा जो सारणी संख्या 4.2 में अंकित है जो इस प्रकार है :—

सारणी संख्या–4.2

उत्तरदात्रियों की जाति

क्रसं.	जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सामान्य	38	27.53
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	72	52.17
3	अनुसूचित जाति	26	18.84
4	अनुसूचित जनजाति	2	1.45
	योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि निर्वाचित महिलाओं में सामान्य जाति की महिलाएँ मात्र 27.53 प्रतिशत हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की 52.17 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 18.84 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की 1.45 प्रतिशत महिलाओं का नेतृत्व है। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ सम्मिलित रूप से कुल निर्वाचित महिलाओं का 72 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर अन्य पिछड़ी जातियों की महिलाओं का तथाकथित सामान्य जाति की महिलाओं की अपेक्षा राजनीतिक नेतृत्व में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होती है जो कि समाज में आए सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।

(3) उत्तरदात्री वर्ग का धर्म :

भारत एक धर्म[8] निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों को समानता का दर्जा दिया गया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है तथा प्रत्येक नागरिक को अपनी

इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। समाज के संगठन और विकास में धर्म का अप्रतिम योगदान रहा है। भारतीय जीवन के जितने भी प्रमुख कर्तव्य हैं वे सभी धर्म पर ही आधारित हैं। भारतीय समाज गांवों का समाज है, गाँव आज भी आस्था और विकास के प्रतीक हैं। भारतीय गांवों में धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ यह विश्वास है कि धर्म एवं हंतो हंति धर्मो रक्षतिः रक्षतिः अर्थात् धर्म का जो नाश करेगा धर्म उसका नाश कर देगा पर जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी भी रक्षा करता है। धर्म सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। धर्म के आधार पर समाज को अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है और राजनीति में धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य राज्य एवं शासन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन का कार्यक्रम व नीतियाँ शासन द्वारा आर्थिक सहायता का वितरण इत्यादि धर्म के आधार पर हो, जो देश के नागरिकों में किसी भी प्रकार से जाति, सम्प्रदाय, लिंग, रंग, जन्म, विश्वास राष्ट्रीय के आधार पर भेदभाव नहीं करता हो।

राधा कृष्णनन के अनुसार – धर्म निरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता वरन् उसका तात्पर्य पूर्णतः आधात्मिक होना होता है।

अम्बेडकर के अनुसार – धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यह अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी भी धर्म को थोपेगा नहीं। अतः प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से नेतृत्वकृत्रियों के धर्म को जानना आवश्यक समझा गया। इसके सम्बन्ध में नेतृत्वकृत्रियों की प्रतिक्रियाएँ सारणी संख्या 4.3 में अंकित है जो इस प्रकार है :–

सारणी संख्या–4.3

उत्तरदात्री वर्ग का धर्म

क्रसं.	धर्म	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हिन्दू	132	95.65
2	मुस्लिम	6	4.34
3	सिक्ख	0	0
4	अन्य	0	0
	योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि निर्वाचित महिलाओं में सर्वाधिक 95.65 प्रतिशत महिलाएँ हिन्दू धर्म से हैं, जबकि मुस्लिम महिलाएँ 4.34 प्रतिशत ही है तथा सिक्ख व अन्य धर्म से एक भी महिला सरपंच निर्वाचित नहीं हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अजमेर में निर्वाचित महिला सरपंचों में हिन्दू धर्म का ही वर्चस्व है।

(4) उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक योग्यता :

शिक्षा व्यक्ति का समाजीकरण करके उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। व्यक्ति के चरित्र निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रभावी नेतृत्व एवं अच्छे प्रतिनिधित्व के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है। शिक्षा अनुभव की संपूर्णता है जो किशोर और वयस्क दोनों की अभिवृत्तियों को प्रभावित करती है या उनके व्यवहारों को भी निर्धारित करती है। साथ ही धैर्य और साहस का मार्ग खोलते हुए अज्ञातमय और अंधविश्वास को लुप्त करती है। यह ज्ञान तथा शक्ति का आधार है तथा सफलता की प्रथम शर्त है। जनता के प्रतिनिधि के लिए शिक्षित होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति में नागरिक कर्तव्य, उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता तथा कर्तव्यपरायणता अधिक होती है। उसमें आत्मविश्वास और योग्यता भी अधिक होती

है। जो उसकी राजनीतिक भागीदारिता में भी वृद्धि करते हैं। शिक्षा ज्ञान और शक्ति का आधार तथा सफलता की प्रथम सीढ़ी है। बारकर, ब्राउन और रूचक ने शिक्षा को सामाजिक आवश्यकताओं व व्यवहारों को निर्धारित करने वाला बताया है। दुर्खाइम के अनुसार शिक्षा उन्हें सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य बनाती है। शिक्षित व्यक्ति नीतियों, निर्देशों, योजनाओं व बजट की जानकारी प्राप्त करने, प्रशासन को उच्च स्तर से संपर्क स्थापित करने कुशल निर्णय लेने, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने में सक्षम होता है। शिक्षा व्यक्ति को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने में सहायक है व कुशल राजनीतिज्ञ जनता की आवश्यकताओं को समझकर उनको पूरा करने के लिए प्रयास करने में सक्षम होता है उसे अशिक्षित नहीं कर पाएगा।[9] अतः प्रस्तुत अध्ययन में नेतृत्वकृत्रियों की शैक्षणिक योग्यता को जानना आवश्यक समझा है। प्रस्तुत अध्ययन की दृष्टि से यहाँ उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर के 5 वर्ग बनाए गए हैं। 1. साक्षर, 2. प्राथमिक, 3. माध्यमिक, 4. स्नातक, 5. स्नातकोत्तर। इसके सम्बन्ध में नेतृत्वकृत्रियों की प्रतिक्रियाएँ सारणी संख्या 4.2 में अंकित है जो इस प्रकार है :–

सारणी संख्या–4.4

शैक्षणिक योग्यता

क्रसं.	शैक्षणिक योग्यता	आवृत्ति	प्रतिशत
1	साक्षर	56	40.57
2	प्राथमिक	44	31.88
3	माध्यमिक	33	23.11
4	स्नातक	4	2.89
5	स्नातकोत्तर	1	0.72
	योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि निर्वाचित महिला सरपंच प्रतिनिधियों में से 40.57 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर लगभग 31.88 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, 2.89 प्रतिशत स्नातक स्तरीय शिक्षा प्राप्त महिलाएँ तथा 1 प्रतिशत महिला स्नातकोत्तर शिक्षित पाई गई। जबकि 23.11 प्रतिशत महिलाएँ माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की हुई हैं। इससे स्पष्ट है कि आज भी अजमेर की महिला सरपंचों में सर्वाधिक संख्या मात्र साक्षर महिलाओं की है।

(5) उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति :

विवाह मानव जीवन की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। विवाह गृहस्थ जीवन का प्रारंभ होने के कारण व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। वह उसे उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित ही नहीं अपितु बाध्य भी करता है। भारतीय समाज परम्परागत समाज होने के कारण सामाजिक संस्थाओं में विवाह नामक संस्था को प्रमुख स्थान प्राप्त है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक पवित्र महत्वपूर्ण अटूट सामाजिक बंधन का प्रतीक है जिसमें पुरूष एवं महिला एक दूसरे के सुख–दुःख में सहभागी होते हैं, विवाह व्यक्ति के जीवन को अच्छे और बुरे दोनों रूपों में से किसी भी रूप में प्रभावित कर सकता है। प्राचीनकाल की तरह विवाह वर्तमान में भी महत्वपूर्ण पहलू माना गया है, परम्परागत समाजों में विवाह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के निर्धारण का एक प्रमुख आधार रहा है। इसी के साथ साथ स्ट्रोकर जैसे विचारकों ने विवाह को ऐसा तत्व माना है जो एक नयी सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के निर्माण में सहायक होता है जिससे सीखने और प्रभावित होने का अवसर प्राप्त होता है। इसके साथ व्यक्ति को विवाह के पश्चात अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा उससे अनेक कर्तव्यों की पूर्ति की अपेक्षा की जाती है। विवाहित व्यक्ति का जीवन अत्यधिक उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन होता है। जिससे अन्य क्षेत्रों में भी उत्तरदायित्व का भाव आता है।[10] प्रस्तुत अध्ययन में हमने नेतृत्वकृत्रियों से उनकी वैवाहिक स्थिति के बारे में उनकी

प्रतिक्रियाओं को जानना आवश्यक समझा जो कि सारणी संख्या 4.5 में अंकित है जो इस प्रकार है :–

सारणी संख्या–4.5

उत्तरदात्रियों की वैवाहिक स्थिति

क्रसं.	वैवाहिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	अविवाहित	01	0.72
2	विवाहित	122	88.40
3	विधवा	15	10.86
4	तलाकशुदा	-	0
	योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि अविवाहित महिला सरपंच मात्र 0.72 प्रतिशत हैं जबकि विवाहित महिला सरपंच 88.40 प्रतिशत हैं तथा विधवा महिला सरपंच 10.86 प्रतिशत हैं। लेकिन एक भी महिला सरपंच तलाकशुदा नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि अजमेर में महिला सरपंच प्रतिनिधियों में सबसे अधिक विवाहित महिलाएँ नेतृत्वकृत्रियाँ हैं, जिन्हें परिवार ने पूर्ण सहयोग दिया।

(6) उत्तरदात्रियों की विवाह के समय आयु :

विवाह प्राणी की प्राकृतिक आवश्यकता ही नहीं अपितु एक सामाजिक रीति–रिवाज एवं बंधन तथा जोड़ भी है। अतः प्रत्येक समाजों में इस सामाजिक बंधन की आयु भिन्न–भिन्न व समाज के अनुरूप पाई जाती है। वर्तमान परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं तथा यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि विवाह की आयु स्त्री के वर्तमान व भावी जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करती है। भारतीय समाज में विवाह

की आयु का विशेष महत्व है। संविधान द्वारा विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। क्योंकि सामान्यतः यह धारणा है कि विवाह की आयु जितनी निर्धारित की गई है। उतनी या उससे थोड़ी अधिक होगी तो उत्तरदायित्वों का बोध एवं विचारों में परिपक्वता उतनी ही अधिक होगी। उनका वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चलेगा। उनमें तालमेल बना रहेगा। वे दोनों अपने उत्तरदायित्वों का वहन सुचारू रूप से कर पाएंगे। किन्तु भारतीय समाज अभी भी बाल विवाह जैसी समस्या से जूझ रहा है। जिसमें लड़के–लड़की का विवाह बहुत छोटी उम्र में कर दिया जाता है। उस समय उनमें समझ का अभाव होता है और वे अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय तरीके से नहीं जी पाते। अतः प्रस्तुत अध्ययन में हमने नेतृत्वकृत्रियों से उनकी विवाह के समय आयु को जानना आवश्यक समझा इसके सम्बन्ध में नेतृत्वकृत्रियों की प्रतिक्रियाएँ सारणी संख्या 4.6 में अंकित है जो इस प्रकार है :–

सारणी संख्या–4.6

उत्तरदात्रियों वर्ग की विवाह के समय आयु

क्रसं.	विवाह के समय आयु	आवृत्ति	प्रतिशत
1	7–12	28	20.28
2	12–15	45	32.60
3	15–18	46	33.33
4	18 वर्ष से अधिक	19	13.76
	योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि सबसे कम 13.76 प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं ने 18 वर्ष से अधिक की उम्र की हैं तथा 12 वर्ष से कम उम्र में विवाह करने वाली निर्वाचित महिलाएँ 20.28 प्रतिशत हैं। जबकि 12–15 वर्ष की आयु में विवाह करने वाली निर्वाचित महिलाएँ 33.33 प्रतिशत हैं तथा 14 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ 15–18 वर्ष की है। इससे स्पष्ट है कि अजमेर की निर्वाचित महिला सरपंच प्रतिनिधियों में से सबसे अधिक 15–18 वर्ष की उम्र में विवाह करने वाली महिलाएँ हैं। अर्थात् आज भी वहाँ पर अधिकतर विवाह नाबालिग हो रहे हैं। अतः यह तथ्य स्पष्ट करता है कि गांवों में बाल विवाह की प्रथा लगातार प्रचलन में हैं।

(7) उत्तरदात्री वर्ग की पारिवारिक इकाई :

परिवार व्यक्ति के जीवन की प्रथम पाठशाला है परिवार समाज की आधारभूत इकाई होती है। व्यक्ति का समाजीकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है, परिवार ही वह संस्था है। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला रखी जाती है। परिवार को मुख्यता समाजीकरण करने वाले प्राथमिक समूह के रूप में जाना जाता है। उद्‌भव के साथ ही बच्चा परिवार के सम्पर्क में आता है और पारिवारिक वातावरण से प्रभावित होता है। व्यक्ति के विकास में परिवार के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति से व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। पारिवारिक परिवेश, उसके विकास, व्यवहार, भावी जीवन की दिशा एवं दशा का भी निर्धारण करता है। प्राचीन काल में भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, परन्तु जैसे–जैसे समय और प्रस्थिति में परिवर्तन हुआ वैसे–वैसे संयुक्त परिवार टूटने लगे और एंकाकी परिवार की व्यवस्था को अपनाया जाने लगा परन्तु ग्रामीण परिवार की सबसे बड़ी विशेषता संयुक्त परिवार की है। संयुक्त परिवार में स्त्री–पुरूष, पति–पत्नी, चाचा–ताऊ, भाई–भतीजे सभी इकट्‌ठे और एक ही घर में रहते हैं। संयुक्त परिवार में अभी प्रबंध एक ही मुखिया के हाथ में होता है। राजनीतिक क्षेत्र में संयुक्त परिवार अधिक महत्व रखता है। यदि उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। तो निर्वाचन के

समय चुनाव प्रचार करने एवं मतदान के समय सहायता मिलती है।[11] इसी सन्दर्भ में नेतृत्वकृत्रियों की पारिवारिक स्थिति का वर्गीकरण किया गया है। इसके सम्बन्ध में नेतृत्वकृत्रियों की प्रतिक्रियाएँ सारणी संख्या 4.8 में अंकित है जो इस प्रकार है :–

सारणी संख्या–4.7

उत्तरदात्रियों की पारिवारिक इकाई

क्रसं.	पारिवारिक इकाई	आवृत्ति	प्रतिशत
1	एकल	40	28.98
2	संयुक्त	98	71.01
	योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि निर्वाचित महिला सरपंच प्रतिनिधियों में एकल परिवार में रहने वाली महिलाएँ 28.98 प्रतिशत तथा 71.01 प्रतिशत महिलाएँ संयुक्त परिवार से संबंधित हैं अर्थात् आज भी अधिकतर निर्वाचित महिलाएँ संयुक्त परिवार में रहना पसंद करती हैं।

(8) उत्तरदात्रियों के परिवारों की आर्थिक प्रस्थिति :

आर्थिक प्रस्थिति किसी भी वर्ग में प्रतिष्ठा का आधार मानी जाती है। समाज में आर्थिक पृष्ठभूमि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है। ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति उसकी सामाजिक व राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति गांव की सामाजिक सहभागिता में न तो भाग ले सकता है और न ही उसका कोई प्रभाव रहता है। इसके विपरीत अच्छी स्थिति वाले लोग अधिक सबल होने के कारण मध्यवर्ग के सहारे अपने प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ग्रामीण परिवेश में मध्यम आर्थिक स्थिति

वाले लोग अधिक सबल होने के कारण मध्यम वर्ग के सहारे अपने प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ग्रामीण परिवेश में मध्यम आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति ग्रामीण राजनीति में अधिक सक्रिय होते हैं। वे निम्न व उच्च आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के मध्य एक कड़ी जोड़ने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण समाज अत्यंत प्रबल रूप से कृषि पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन का मौलिक साधन है। आदिकालीन कृषि की तकनीक, अपर्याप्त सिंचाई की प्रणाली, भूमि का खण्डीकरण, अलाभकारी जोत, कृषि पर अत्यधिक भार, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और निर्धनता के प्रमुख कारण हैं।[12] ग्रामीण महिला नेतृत्व के निर्धारण में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का विशेष महत्व रहता है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने नेतृत्वकृत्रियों की प्रस्थिति को जानना आवश्यक समझा जो कि सारणी संख्या 4.8 में अंकित है जो इस प्रकार है :–

सारणी संख्या–4.8

उत्तरदात्री वर्ग की आर्थिक प्रस्थिति

क्रसं.	आर्थिक प्रस्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	उच्च	55	39.85
2	मध्यम(सामान्य)	75	54.34
3	निम्न	8	5.79
	योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि निर्वाचित महिलाओं में सबसे निम्न 5.34 प्रतिशत निम्न, सामान्य आर्थिक स्थिति की 54.34 प्रतिशत महिलाएँ तथा उच्च आर्थिक स्थिति वाली 39.85 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ हैं। इससे स्पष्ट है कि निर्वाचित महिला सरपंचों में आधे से अधिक महिलाएँ सामान्य आर्थिक प्रस्थिति वाली हैं अर्थात् मध्यम वर्ग का बाहुल्य हैं।

(9) उत्तरदात्री वर्ग का व्यवसाय :

ग्रामीण नेतृत्व के आर्थिक एवं व्यवसायिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण के लिए उनके व्यवसायों को जानना महत्वपूर्ण है। व्यवसाय का संबंध व्यक्ति के आर्थिक जीवन से है। व्यवसाय की प्रकृति भी जीवन दिशा को निर्धारित करती हैं। व्यक्ति का व्यवसाय उसकी अभिवृत्ति, व्यवहार को प्रभावित करता है। वास्तव में ग्रामीण राजस्थान में व्यवसायिक समूह राजनीतिक समाजीकरण का बहुत बड़ा स्त्रोत है। यह प्रक्रिया आजीवन निरंतर चलती है। व्यवसाय से आय प्रतिष्ठा शक्ति, सुरक्षा आदि ऐसे कारक जुड़े होते हैं, जिनसे ग्रामीण नेताओं की मूल्य उन्मुक्तता और व्यवसायिक महत्वकांक्षाएँ निर्धारित होती हैं। इसके साथ ही व्यक्ति के आचार विचार, रहन–सहन एवं जीवन शैली के स्तर का भी निर्धारण होता है। कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति या एक अकुशल श्रमिक किसी भी प्रकार का राजनीतिक व्यक्तव दे सकता है लेकिन वही व्यक्ति जब किसी सरकारी संस्थान में काम करने लगता है तो वह वैसा नहीं कर सकता है। कुछ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को परस्पर मिलने के अधिक अवसर मिलते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत कुछ एक सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए प्राध्यापक, सरकारी नौकर इत्यादि व्यवसायिक वर्गों के लोग लगभग प्रत्येक देश में सर्वाधिक राजनीतिक भागीदारी दिखलाते हैं। जबकि लिपिक, श्रमिक वर्ग के सदस्यों से अधिक राजनीतिक भागीदारी की आशा नहीं की जा सकता है क्योंकि इन्हें अवकाश का अवसर बहुत कम मिलता है। लेकिन इनके नेता पेशेवर राजनीतिज्ञ होते हैं। व्यवसायिक गतिशीलता से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है। लिपसेट के अनुसार एक व्यक्ति जो अपनी व्यवसायिक प्रस्थिति को बढ़ाता है। वह साधारणतया अपनी सामाजिक प्रस्थिति को भी बढ़ाने का प्रयास करता है। इसी के परिणामस्वरूप उसके राजनीतिक नेतृत्व में वृद्धि होती है। अतः प्रस्तुत अध्ययन में हमने नेतृत्वकृत्रियों के व्यवसाय को जानना आवश्यक समझा है। इसके सम्बन्ध में नेतृत्वकृत्रियों की प्रतिक्रियाएँ सारणी संख्या 4.9 में अंकित है जो इस प्रकार है :–

सारणी संख्या–4.9

उत्तरदात्रियों का व्यवसाय

क्रसं.	व्यवसाय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कुटीर	10	7.24
2	कृषि	66	47.82
3	व्यापार	35	25.36
4	अन्य	27	19.56
	योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि निर्वाचित महिलाओं में से सबसे अधिक 47.82 प्रतिशत महिलाएँ कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ी हैं जबकि सबसे कम निर्वाचित महिलाएँ कुटीर उद्योग से जुड़ी हुई हैं। 25.36 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ व्यापार से तथा 19.56 प्रतिशत निर्वाचित महिलाएँ अन्य व्यवसायों से जुड़ी हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाने वाली महिलाएँ स्थानीय स्वशासन से सर्वाधिक जुड़ती हैं।

(10) उत्तरदात्री वर्ग की पारिवारिक आय :

आय[13] व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों मेंएक महत्वपूर्ण कारक है। आय व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक स्थिति तथा उसके सम्मान का प्रतीक तथा कार्य के लिए प्रेरणा है। वर्तमान में समाज में व्यक्ति के गुण–दोषों का मूल्यांकन उसकी आय के आधार पर करता है। व्यक्ति की आय के आधार पर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं प्रतिष्ठा का निर्धारण होता है। व्यक्ति के आचरण, विचार, व्यवहार, प्रतिभा आदि गुणों के साथ–साथ आर्थिक सुदृढ़ता को भी गुणों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। व्यक्ति की आय प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान लेने के कारण आय संबंधी जानकारी प्राप्त करना सामाजिक शोध

के लिए आवश्यक हो गया है। अतः प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से नेतृत्वकृत्रियों की पारिवारिक आय को जानना आवश्यक समझा गया। इसके सम्बन्ध में नेतृत्वकृत्रियों की प्रतिक्रियाओं को जानना आवश्यक समझा गया जो कि इस प्रकार है :–

सारणी संख्या–4.10

उत्तरदात्री वर्ग की पारिवारिक आय

क्रसं.	वार्षिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत
1	10,000–25,000 हजार	13	9.42
2	25,000–50,000 हजार	18	13.04
3	50,000–75,000 हजार	55	39.85
4	75,000 हजार से अधिक	52	37.68
	योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि निर्वाचित महिलाओं में से 9.42 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 25,000 से कम है। 13.04 प्रतिशत की वार्षिक आय 25000–50000 के मध्य है, 39.85 प्रतिशत की वार्षिक आय 50000–75000 के मध्य है तथा 37.68 प्रतिशत महिलाओं की वार्षिक आय 75000 से अधिक पाई गई है। इससे स्पष्ट है कि आज भी निर्वाचित महिलाओं का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा है।

(11) उत्तरदात्रियों की कृषि भूमि का प्रकार :

ग्रामीण संदर्भ में कृषि भूमि व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। कृषि भूमि का ग्रामीण सामाजिक संरचना

में वर्ग विशेष के आधार पर विभाजन हुआ है। सामान्य तौर पर निम्न वर्गों में कृषि भूमि या तो कम है अथवा है ही नहीं। कृषि भूमि परिवार की संस्था एवं पीढ़ी दर पीढ़ी उसके हस्तांतरण से लगातार औसतन कम होती जा रही है। भारत की ग्रामीण जनता के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। कृषि और उससे संबद्ध व्यवसाय देश की लगभग 75 प्रतिशत जनता के जीविकोपार्जन का आधार है। कृषि उत्पादन भारत के चक्र की रीढ़ है। यदि व्यक्ति के जीवन स्तर उसके वैचारिक व व्यवसायिक प्रतिशत उसकी महत्वाकांक्षा आदि को निर्धारित करने में कुछ सीमा तक चलाई जा रही है लेकिन इसका लाभ सभी को प्राप्त नहीं हो पाता है।[14] प्रस्तुत अध्ययन में हमने नेतृत्वकृत्रियों से उनकी कृषि भूमि के प्रकार का विवरण जानना चाहा जो सारणी संख्या 4.11 में अंकित है।

सारणी संख्या–4.11

नेतृत्वकृत्रियों की कृषि भूमि का प्रकार

क्रसं.	कृषि भूमि का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
1	सिंचित	102	73.91
2	असिंचित	8	5.79
3	सिंचित असिंचित/बंजर	26	18.84
4	भूमिहीन	2	1.44
	कुल योग	**138**	**100**

प्रस्तुत अध्ययन में हमने पाया कि 73.91 प्रतिशत सिंचित कृषि भूमि है। 5.79 प्रतिशत महिला सरपंचों के पास असिंचित कृषि भूमि है। जबकि 18.84 प्रतिशत

महिला सरपंचों के पास सिंचित/असिंचित कृषि भूमि है। 1 प्रतिशत नेतृत्वकृत्री भूमिहीन है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में आज देश की लगभग 75 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर है और वर्षा बहुत ही अनिश्चित है।

निष्कर्ष :–

पंचायती राज में महिला नेतृत्व की वर्तमान व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। राजस्थान के रुढ़िवादी ग्रामीण समाज में जहाँ पर्दा प्रथा, निरक्षरता तथा पुरुष प्रधान व्यवस्था है, वहाँ उसी समाज की महिलाएँ बल्कि अति पिछड़े वर्ग से महिलाएँ जब सरपंच की कुर्सी पर पूरे गाँव के सामने बैठेंगी तो यह ग्रामीण परिवर्तन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में पंचायतीराज आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ और सार्थक हुआ है। जिससे ग्रामीण सुशासन के विकास और लोकतंत्र की स्थापना में ग्रामों में महिला नेतृत्व एवं सक्रियता की सर्वाधिक सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। निदर्श समूह की व्यक्तिगत जानकारी से स्पष्ट होता है कि निदर्श में 138 महिला सरपंचों को शामिल किया गया है। जो कि अजमेर जिले में पचास प्रतिशत महिला आरक्षण के पश्चात् विजयी होकर सरपंच के पद को प्राप्त की है।

हमारे अध्ययन में हमने सम्मिलित निर्वाचित महिलाओं के व्यक्तिगत चरों से संबंधित जानकारी हासिल की और हमने पाया कि अधिकांशतः मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं ने जिन्होंने राजनीति में भाग लिया। वह अधिकतर अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित थी। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन अजमेर जिले की अधिकांश महिलाएँ सिर्फ साक्षर हैं और इसी वजह से अधिकांश कार्यों को करने के लिए अन्यों को सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षणिक अभाव का कारण उनका कम उम्र में विवाह को माना गया है, क्योंकि इनमें से अधिकांश महिलाओं का विवाह 12 से 18 वर्ष की उम्र में हुआ जबकि सिर्फ 14 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर हुआ है। इन महिलाओं को अपना कोई व्यक्तिगत व्यवसाय नहीं है जो भी व्यवसाय है वो उनके

परिवार से संबंधित है। इनमें अधिकतर महिलाएँ मध्यम आय वर्ग से संबंधित हैं तथा पेशे के रूप में (व्यवसाय) के रू॰ में कृषि को अपनाया हुआ है। व्यक्ति का समाजीकरण उसके परिवार के माध्यम से ही होता है। यह परिवार सामाजीकरण की प्राथमिक इकाई के रूप में कार्य करता है। भारत में प्राचीनकाल से संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में रही है और यही स्थिति राजस्थान की भी है। वर्तमान में भी अजमेर जिले की अधिकतर निर्वाचित महिलाओं का परिवार संयुक्त रूप से ही रहता है। हमारे यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म चुनने का अधिकार प्रदान किया गया है और राजनीति में भी धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है। लेकिन अजमेर जिले की निर्वाचित महिलाओं में अधिकांश महिलाओं में हिन्दू धर्म का ही वर्चस्व है। कुछ प्रतिशत मुस्लिम वर्ग का और अन्य धर्म की एक भी महिला निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है।

निर्वाचित महिलाओं में अधिकांश महिलाएँ विवाहित जबकि अविवाहित महिलाओं की स्थिति लगभग नगण्य इससे स्पष्ट है कि अविवाहित महिलाओं को परिवार राजनीति में भाग लेने नहीं देता है। विधवाओं का भी प्रतिशत निर्वाचित महिलाओं में कम है क्योंकि उन्हें अगर परिवार कहें तभी वो भाग लेती हैं अर्थात् आज महिलाएँ कहने पर ही राजनीति में भाग लेती है।

व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इसके परिवार की आय के आधार पर ही निर्धारित होती है और इन निर्वाचित महिलाओं की अधिकतर वार्षिक आय एक लाख से भी कम है। इनमें से अधिकतर महिलाओं के पास सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि है। लेकिन इनमें से अधिकतर महिलाओं के पास कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल अधिक है।

प्रस्तुत अध्याय में हमने अजमेर जिले की पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के दृष्टिकोणों पर दृष्टिपात करने के पश्चात् अगले अध्याय में हम सुशासन के दृष्टिकोणों का परीक्षण करेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. इरा यादव, ग्रामीण राजस्थान में राजनीतिक शक्ति संरचना का उभरता स्वरूप, क्लासिक पब्लिकेशन, जयपुर, 2001, पृ.सं. 60
2. एम.एम. लवानिया, शशि के. जैन, ग्रामीण समाज शास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 2010, पृ.सं. 184
3. जी.एस. हालपर्न, एच.एस. ढिल्लन, लीडरशिप एण्ड ग्रुप्स इन बिलेज, प्लानिंग कमीशन, दिल्ली, 1955, पृ.सं. 12
4. अर्जुनराय द्वारशंकर, लीडरशिप इन पंचायती राज : ए स्टडी ऑफ बीड डिस्ट्रिक्ट, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1974, पृ.सं. 111
5. रजनी, कोठारी, भारत में राजनीति, ओरियन्ट लांगमेंस, दिल्ली, 1970, पृ.सं. 255
6. योगेश अटल, द चैंजिग फ्रण्टीयर्थ ऑफ कॉस्ट, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1968, पृ.सं. 96
7. रजनी कोठारी, भारत में राजनीति, ओरियन्ट लांगमेंस दिल्ली, 1970, पृ.सं. 255
8. प्रीति मिश्रा, हिन्दु महिलाओं के जीवन में धर्म का महत्त्व, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 2005, पृ.सं. 172
9. एन. जयपालन, प्राब्लम्स ऑफ इण्डियन एज्यूकेशन, एंटलाटिक पब्लिशर्स, एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2005, पृ.सं. 150–158
10. वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा, ग्रामीण समाज शास्त्र, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1999, पृ.सं. 246
11. राजेन्द्र कुमार शर्मा, ग्रामीण समाज शास्त्र, एण्टलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 1996, पृ.सं. 116

12. ए.आर. देसाई, भारतीय समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1997, पृ.सं. 51–52

13. बलराम डोगरा, ह्यूमन, कर्मिन्दर, रूरल मार्केटिंग लिमिटेड, न्यू देहली, 2008, पृ.सं. 14

14. चन्द्रा पाटनी, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2006, पृ. सं. 81